

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी - श्री दिनेश कुमार मीणा आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या 106/2022

दायर दिनांक 04.07.2022

उन्वान

1. अजयलाल पि. भवाना जाति धाकड़ नि. उन्हेल तहसील सुनेल
2. जानकीलाल पि. भवाना जाति धाकड़ नि. उन्हेल तहसील सुनेल
3. धापूबाई पुत्री भवाना जाति धाकड़ नि. उन्हेल तहसील सुनेल
4. नर्मदाबाई पुत्री भवाना जाति धाकड़ नि. उन्हेल तहसील सुनेल
5. सुकुनबाई पुत्री भवाना जाति धाकड़ नि. उन्हेल तहसील सुनेल
6. सजनबाई पुत्री भवाना जाति धाकड़ नि. उन्हेल तहसील सुनेल

- वादीगण

वनाग

1. रामसिंह पि. बद्रीलाल जाति धाकड़ नि. उन्हेल तहसील सुनेल
2. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर वर्तमान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा सुनेल
3. आई०सी०आई०सी०आई० बैंक लि० शाखा झालरापाटन
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सुनेल

-प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति विद्वान अभिभाषकगण -

अभिभाषक वादीगण - श्री रमेशचन्द नागर

अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1 - श्री प्रेमचन्द चौधरी

अभिभाषक प्रतिवादी सं. 2 - श्री कैलाशचन्द गुप्ता

प्रतिवादी सं. 3 - एकतरफा

प्रतिवादी सं. 4 - पेरकार सरकार जरिये तहसीलदार सुनेल

निर्णय

दिनांक 24.07.2025

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषकगण उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में ग्राम उन्हेल तहसील सुनेल की जमाबंदी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 125 की वादग्रस्त आराजी कित्ता 4 रकबा 5. 3874 हे. के संबंध में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.06.2025 के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 के राजस्व



उपखण्ड अधिकारी
पिडावा, जिला झालावाड़ (राज.)



रिकार्ड में दर्ज हिरसा एवं मौके पर कब्जा काश्त के आधार पर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियमों के परिपेक्ष्य में वादग्रस्त आराजी का खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये गये थे उक्त निर्णय की पालना में तहसीलदार सुनेल द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/2025/811 दिनांक 25.06.2025 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया गया जिस पर अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषकगण उभयपक्ष की सहमति के आधार पर विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अतः इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.06.2025 अनुसार वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 के मध्य निम्न प्रकार विवादित आराजी ग्राम उन्हेल तहसील सुनेल की जगावंदी राश्वत 2074-2077 के खाता संख्या 125 की वादग्रस्त आराजी कित्ता 4 रकबा 5.3874 हे. भूमि में तहसीलदार सुनेल से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अतः वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है। पक्षकारान का रहन यथावत दर्ज रहेगा।

क्र.	खातेदार का नाम	ख0नं0	रकबा है.	किस्म		
1	रामसिंह पि. बद्रीलाल जाति धाकड़ नि. उन्हेल	1023	1.5074	बारानी सोयम		
		1023/3	0.5224	बारानी सोयम		
		1024	0.2276	बीड दोयम		
		1024/2	0.0253	बीड दोयम		
		886	0.1644	बीड		
		911	0.2213	बीड		
		कित्ता 6	2.6684			
2	अजयलाल पि. भवाना हि. 1/6 रहन SBI सुनेल जानकीलाल पि. भवाना हि. 1/6 रहन SBI सुनेल धापूबाई पुत्री भवाना हि. 1/6 रहन SBI सुनेल नर्मदाबाई पुत्री भवाना हि. 1/6 रहन SBI सुनेल सुकनबाई पुत्री भवाना हि. 1/6 रहन SBI सुनेल सजनबाई पुत्री भवाना हि. 1/6 रहन SBI सुनेल जाति धाकड़ नि. उन्हेल	1023/1	1.4963	बारानी सोयम		
		1023/2	0.5334	बारानी सोयम		
		1024/1	0.2530	बीड		
		886/1	0.1644	बीड		
		911/1	0.2213	बीड		
				कित्ता 5	2.6684	



उपखण्ड अधिकारी

जयपुर जिला इलाकाधिकारी



3	अजयलाल पि. भवाना हि. 1/12 रहन SBI सुनेल जानकीलाल पि. भवाना हि. 1/12 रहन SBI सुनेल धापूबाई पुत्री भवाना हि. 1/12 रहन SBI सुनेल नर्गदाबाई पुत्री भवाना हि. 1/12 रहन SBI सुनेल सुकनबाई पुत्री भवाना हि. 1/12 सजनबाई पुत्री भवाना हि. 1/12 रहन SBI सुनेल रामसिंह पि. बद्रीलाल हि. 1/2 जाति धाकड़ नि. उन्हेल	1023/4	0.0506	बारानी सोयम
---	---	--------	--------	-------------

तहसीलदार सुनेल उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।
फाइनल डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले
न्यायालय में सुनाया गया।



(Handwritten signature)
24/7/25

(दिनेश कुमार मीणा, आरएस)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज.
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

क्र.	खातेदार का नाम	ख0नं0	रकबा है.	किस्म		
1	रामसिंह पि. बट्टीलाल जाति धाकड़ नि. उन्हेल	1023	1.5074	बारानी सोयम		
		1023/3	0.5224	बारानी सोयम		
		1024	0.2276	बीड दायम		
		1024/2	0.0253	बीड दायम		
		886	0.1644	बीड		
		911	0.2213	बीड		
		किता 6	2.6684			
2	अजयलाल पि. भवाना हि. 1/6 रहन SBI सुनेल जानकीलाल पि. भवाना हि. 1/6 रहन SBI सुनेल धापूबाई पुत्री भवाना हि. 1/6 रहन SBI सुनेल नर्मदाबाई पुत्री भवाना हि. 1/6 रहन SBI सुनेल सुकनबाई पुत्री भवाना हि. 1/6 सजनबाई पुत्री भवाना हि. 1/6 रहन SBI सुनेल जाति धाकड़ नि. उन्हेल	1023/1	1.4963	बारानी सोयम		
		1023/2	0.5334	बारानी सोयम		
		1024/1	0.2530	बीड		
		886/1	0.1644	बीड		
		911/1	0.2213	बीड		
				किता 5	2.6684	
		3	अजयलाल पि. भवाना हि. 1/12 रहन SBI सुनेल जानकीलाल पि. भवाना हि. 1/12 रहन SBI सुनेल धापूबाई पुत्री भवाना हि. 1/12 रहन SBI सुनेल नर्मदाबाई पुत्री भवाना हि. 1/12 रहन SBI सुनेल सुकनबाई पुत्री भवाना हि. 1/12 सजनबाई पुत्री भवाना हि. 1/12 रहन SBI सुनेल रामसिंह पि. बट्टीलाल हि. 1/2 जाति धाकड़ नि. उन्हेल	1023/4	0.0506	बारानी सोयम

तहसीलदार सुनेल उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।



[Signature]
24/12/20
(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्डिक अधिकारी
जिला झालावाड़ राज०
पिडावा, जिला झालावाड़ (राज०)

गिजX..... मुवालिफX..... वाबत खर्चा इस मुकदमें के सूद
बषारहX..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकX.....
अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 24.07.2025 को जारी किया
गया।

उपखण्ड अधिकारी पिडावा
मुदालय
जिला झालावाड राज०
पिडावा, जिला झालावाड (राज०)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	वाबत इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	वाबत इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत०
महन्ताना वकील	मुत०	खर्चा गवाहान	
गिजान			गिजान



उपखण्ड अधिकारी पिडावा
उपखण्ड अधिकारी
जिला झालावाड राज०
पिडावा, जिला झालावाड (राज०)